

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 581]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2018—आश्विन 25, शक 1940

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2018

क्र. एफ-3-24-2018-दस-2.—प्रतिकरात्मक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 36) की धारा 4 की उपधारा (1) सहपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, इस अधिनियम के उपयोगार्थ, मध्यप्रदेश के लोक लेखा के ब्याज अर्जित करने वाले खण्ड के अंतर्गत 'मुख्य शीर्ष 8121-साधारण एवं अन्य आरक्षित निधियाँ' के नीचे एक विशिष्ट लघु शीर्ष 129-मध्यप्रदेश प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (एम. पी. सी. ए. एफ.) के अंतर्गत एक विशेष निधि के रूप में संदर्भित मध्यप्रदेश प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (एम. पी. सी. ए. एफ.) का एतद्वारा गठन करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2018

क्र. एफ-3-24-2018-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसार में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-24-2018-दस-2, दिनांक 17 अक्टूबर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव।

Bhopal, the 17th October 2018

No. F-3-24-2018-X-2.—In Exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2016), read with Section 22 of the General Clauses Act 1897, the State Government hereby establishes for the purposes of this Act, a special Fund referred as ‘Madhya Pradesh Compensatory Afforestation Fund (MPCAF)’ under interest bearing section of Public Account of Madhya Pradesh under a distinct Minor head 129 ‘Madhya Pradesh Compensatory Afforestation Fund (MPCAF)’ below the ‘Major Head 8121-General and other Reserve Funds’.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.